



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दांडिक अपील क्रं.413/2007

(एकल पीठ- माननीय श्री टी.पी. शर्मा ,न्यायाधीश)

अपीलकर्ता

इंद्रपाल

बनाम

प्रत्यर्थी

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय हेतु 17 नवंबर 2008 को सूचीबद्ध करें ।

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश





छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रं.413/2007

अपीलकर्ता

(जेल में)

इंद्रपाल पिता स्व. श्री कन्हैया कुशवाहा, आयु लगभग 30

वर्ष निवासी चौकसे कॉलेज के पीछे, दो मुहानी, थाना-

तोरवा, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना तोरवा, जिला बिलासपुर

छत्तीसगढ़



प्रत्यर्थी

(दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374(2) के तहत दांडिक अपील)

उपस्थित;

श्री वी.के. पांडे, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ।

सुश्री संगीता मिश्रा, पैनल अधिवक्ता, राज्य/ प्रत्यर्थी की ओर से ।

एकल पीठ- माननीय श्री टी.पी. शर्मा ,न्यायाधीश



निर्णय

(17 नवंबर 2008 को घोषित किया गया)

इस अपील के माध्यम से, अपीलकर्ता ने सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 14/2007 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश दिनांक 02.05.2007 की वैधता और औचित्य को चुनौती दी है, जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास के अपराध के लिए अभियुक्त/अपीलकर्ता को दोषी मानते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया और उसे 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 500/- रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना अदा न करने पर उसे 3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

2. इस निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य के तथा चिकित्सीय साक्ष्य के समर्थन के बिना ही विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को उपरोक्त रूप में दोषी ठहराया और सजा सुनाई है और इस प्रकार अवैधता की है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, अभियुक्तगण और घायल शिकायतकर्ता कु. पूनम (अ.सा.-5) निकट संबंधी हैं। कु. पूनम, अभियुक्त इन्द्रपाल की भतीजी है। वे एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी है। दिनांक 08.06.2006 को लगभग 8.30 बजे रात्रि में अभियुक्त ने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और शिकायतकर्ता के परिवार



का रास्ता रोका। उन्होंने अभियुक्त से मोटरसाइकिल अन्य स्थान पर रखने को कहा, परन्तु उसने मना कर दिया। जब घायल पूनम रास्ते में बिछाई गई ईंटें हटा रही थी, तो अभियुक्तगण लोहे की छड़ लेकर आये और घायल कु. पूनम के पिता चन्द्रपाल (अ.सा.-6) पर हमला करने का प्रयास किया। आस-पास के लोगों ने आकर मामले में हस्तक्षेप किया और अभियुक्त को उसके घर की ओर ले गए। कुछ देर बाद अभियुक्त पुनः मौके पर आया और गाली-गलौज व धमकी देते हुए कु. पूनम के सिर पर ईंटों व लोहे की छड़ से हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। शिकायतकर्ता के पिता चंद्रपाल ने घटना के 30 मिनट के भीतर प्रदर्श पी/6 के माध्यम से एफ.आई.आर. दर्ज कराई, वे तुरंत घायल पूनम को सिम्स अस्पताल बिलासपुर ले गए, जहां डॉ. आर.के. उपाध्याय (अ.सा.-1) 1 प्रदर्श पी/1 द्वारा उसकी जांच की गई और उन्होंने उसके दाहिने कनपटी क्षेत्र पर 3x 2x 2 से.मी. का एक कटा हुआ घाव पाया। थक्कायुक्त रक्त मौजूद था और उसके दाहिने पार्श्विका क्षेत्र पर 11x1 / 5x 1 / 5 सेमी का एक कटा हुआ घाव था। डॉक्टर ने सिटी स्कैन कराने की सलाह दी। उसकी हालत खराब थी और उसमें सुधार ठीक से नहीं हो रहा था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान, उसे दिनांक 10.06.2006 को श्रीमती विमला देवी मेमोरियल हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र बिलासपुर में भर्ती कराया गया, जहां डॉ. अशोक कुमार शेंडे (अ.सा.-13) ने उसकी जांच और उपचार के बाद देखा कि उसके सिर की हड्डी टूट गई थी और मस्तिष्क



में घुस गई थी। मस्तिष्क की झिल्ली फटी हुई थी और मस्तिष्क के अंदर अत्यधिक मात्रा में रक्त पाया गया था और मामले की सूचना पुलिस को प्रदर्श पी-22 के माध्यम से दी गई और अंततः उसे दिनांक 19.06.2006 को छुट्टी दे दी गई, उसका बेड-हेड टिकट प्रदर्श पी-23 है। 3x3 सेमी की ललाट पार्श्विका हड्डी का टुकड़ा मस्तिष्क के अंदर पाया गया था। मस्तिष्क पर सूजन मौजूद थी। मस्तिष्क के अंदर हवा पाई गई। डॉक्टर ने मस्तिष्क से खून और हड्डियों का टुकड़ा निकाल दिया। डॉक्टर ने कहा कि शिकायतकर्ता कुमारी पूनम के शरीर पर पाई गई चोट गंभीर प्रकृति थी और जीवन के लिए घातक थी और तत्काल उपचार के अभाव में, यह मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। अभियुक्त को दिनांक 29.06.2006 में हिरासत में लिया गया था। उसने ईंटों, लोहे की छड़ और मोटरसाइकिल के संबंध में प्रदर्श पी-3 के माध्यम से प्रकटिकरण कथन दिया। अभियुक्त इन्द्रपाल की निशानदेही पर 95 सेमी की एक घुमावदार छड़ तथा मोटरसाइकिल बरामद की गई, जैसा कि प्रदर्श पी-4 में दर्शाया गया है। अभियुक्त को प्रदर्श पी -5 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया,। घायल पूनम के खून से सने कपड़े प्रदर्श पी -7 के माध्यम से बरामद किए गए,। पटवारी द्वारा घटनास्थल नक्शा प्रदर्श पी -8 के माध्यम से तैयार किया गया। ईंट के दो टुकड़े, खून से सनी मिट्टी तथा सादी मिट्टी दिनांक 09.06.2006 को प्रदर्श पी-11 के माध्यम से जप्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा प्रदर्श पी-11 के अनुसार घटनास्थल का नक्शा तैयार किया



गया। जब्त वस्तुओं को प्रदर्श पी-18 के अनुसार रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया।

4. धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने और जांच पूरी होने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलासपुर की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को उपर्पित किया।

5. अपीलकर्ता/अभियुक्त का अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों का परीक्षण किया है। अभियुक्त/अपीलार्थी का बयान दंड

प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और निर्दोष होने तथा दुश्मनी के आधार पर झूठे आरोप लगाने का दावा किया।

7. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात उपरोक्त अभियुक्त/अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

8. मैंने अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री वी.के. पांडे और राज्य/ प्रत्यर्थी के पैनल अधिवक्ता सुश्री मिश्रा को सुना है और आक्षेपित निर्णय और विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उनके परिवार और घायल पूनम के परिवार के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध हैं। पूनम उनकी भतीजी



है। उन्होंने पूनम को कोई चोट नहीं पहुँचाई है। यहां तक कि पूनम को कोई चोट पहुंचाने का कोई अवसर भी नहीं था। स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पूनम को ईंटों और लोहे की छड़ से चोटें आईं, लेकिन दो चोटों में से एक कटा हुआ घाव है और एक फटा हुआ घाव है। डॉ आर के उपाध्याय (अ.सा.-1) जिन्होंने घटना के तुरंत बाद कु. पूनम की जांच की है, ने स्पष्ट रूप से अपने प्रति परीक्षण के कंडिका -6 में कहा है कि चोट नंबर 1 अर्थात् फटा हुआ घाव सतह पर गिरने के कारण हो सकता है, लेकिन चोट नंबर 2 अर्थात् कटा हुआ घाव ईंटों या लोहे की छड़ के कारण नहीं हो सकता है। आरोपी ने किसी तेज धार वाले हथियार से हमला नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष ने इस आशय का कोई सबूत नहीं दिया है कि अभियुक्त ने घटना के समय किसी भी तेज धार वाले हथियार का इस्तेमाल किया है, जो दर्शाता है कि घायल और हितबद्ध गवाहों के बयान को किसी भी स्वतंत्र गवाह और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष अपराध का हेतु साबित नहीं कर पाया है। एक स्वतंत्र गवाह द्वारा आशय और संपुष्टि के अभाव में, हितबद्ध गवाहों के बयान अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए भरोसा करने के लिए सुरक्षित नहीं हैं।

10. दूसरी ओर, राज्य/ प्रत्यर्थी की ओर से आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया गया है और तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष ने संदेह की सभी छाया से परे अपना मामला साबित कर दिया है। घायल गवाह कु.





पूनम (अ.सा.--5) ने अभियोजन पक्ष के मामले का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है। उनके बयान को प्रत्यक्षदर्शी चंद्रपाल (अ.सा.--6), कु. पूजा (अ.सा.-4) और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थन प्राप्त है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभियुक्त ने अचानक कु. पूनम को चोट पहुंचाई हो, लेकिन घटना के पहले भाग के बाद, अभियुक्त अपने घर गया और रॉड लेकर आया और कु. पूनम को खतरनाक चोटें पहुंचाई। अभियुक्त ने सर्पिल छड़ का इस्तेमाल किया है जो विशेष प्रकार की लाल और तेज धार वाली (धारीदार छड़) होती है और कु. पूनम के सिर पर चोटें पहुंचाई हैं। डॉ. आर.के. उपाध्याय (अ.सा.-1) और डॉ. अशोक कुमार शेंडे (अ.सा.-13) ने स्पष्ट रूप से कहा और गवाही दी है कि चोट गंभीर और जीवन के लिए घातक थी।

12. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपीलकर्ता पर लगाई गई सजा अनुपातहीन नहीं है।

13. जहां तक घायल कु. पूनम (अ.सा.-5) को पहुंची चोट और उसकी प्रकृति का सवाल है, कु. पूनम (अ.सा.-5) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 08.06.2006 को घटना के समय अपीलकर्ता ने छड़ और ईंटों से उसके सिर पर हमला किया गया था। चोट से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। कु. पूनम के पिता चंद्रपाल (अ.सा -6) ने घायल कु. पूनम के बयान का समर्थन किया है, जो घटना के



समय वहां मौजूद था। कु. पूनम की बहन कु. पूजा (अ.सा.-4) ने भी अ.सा -5 कु. पूनम के बयान का समर्थन किया है। अ.सा -6 चंद्रपाल ने एफआईआर प्रदर्श.पी-6 दर्ज कराई है, जिसमें उसने उल्लेख किया है कि आरोपियों ने उस पर सर्पिल छड़ और ईंटों से हमला किया था पहली बार डॉ. आर.के. उपाध्याय (अ.सा -1) ने 08.06.2006 को रात 9.10 बजे उसकी जांच की और उन्होंने प्रदर्श पी-1 के अनुसार दो चोटें पाईं। चोट संख्या 1 उसके दाहिने कनपटी क्षेत्र पर 3x2x2 सेमी का फटा हुआ घाव है। खून के थक्के मौजूद थे और चोट संख्या 2 उसके दाहिने पार्श्विका क्षेत्र पर 11x1/5x1/5 सेमी का तिरछा घाव है। खून के थक्के मौजूद थे। वह बेहोश थी और उसकी पुतलियाँ ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर रही थीं। चोट संख्या 1 कठोर और कुंद वस्तु के कारण हुई थी जबकि चोट संख्या 2 तेज धार वाले हथियार के कारण हुई थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

14. डॉ. अशोक कुमार येंडे (अ.सा -13) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 9.6.2006 को कु. पूनम को श्रीमती विमला देवी मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बिलासपुर में भर्ती कराया गया था। उन्होंने उसकी जाँच और उपचार किया था और उसके मस्तिष्क की सर्जरी भी की थी। उन्होंने कहा है कि मस्तिष्क के अंदर खून और हड्डी का टुकड़ा पाया गया था। मस्तिष्क की झिल्ली फटी हुई थी। वह बेहोश थी। चोटें गंभीर और जानलेवा थीं। बेड-हेड टिकट प्रदर्श.पी -23 है। बचाव पक्ष ने सुझाव दिया है कि पूनम को एक चोट गिरने से लगी थी, जिसका पूनम ने खंडन किया है।




उपरोक्त गवाहों के बयान से यह स्थापित होता है कि घटना के समय पूनम को चोटें आई थीं जो गंभीर और जानलेवा थीं।

15. विचाराधीन मामले में अभियुक्त/अपीलकर्ता की संलिप्तता सिद्ध करने के लिए, मैंने अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्रित साक्ष्य की जांच की है। कु.पूनम (अ.सा.-5) ने कहा है कि घटना के समय उसकी बहन पूजा और उसका भाई संजू ईंटें हटा रहे थे, अभियुक्त/अपीलार्थी का उसके पिता चंद्रपाल से झगड़ा हो रहा था। घटनास्थल के पास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर झगड़ा शांत करा दिया। कुछ देर बाद अभियुक्त /अपीलकर्ता छड़ लेकर मौके पर आया और उसके सिर पर छड़ और ईंटों से हमला कर दिया और उसके सिर पर चोटें पहुंचाई। घायल कु. पूनम के पिता चंद्रपाल (अ.सा.-6) ने भी कु. पूनम के बयान का समर्थन किया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उससे झगड़ा किया और हमला करने की कोशिश की, लेकिन झगड़े के समय मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप किया, तब अभियुक्त /अपीलकर्ता उसके घर गया और फिर से छड़ लेकर आया और उसकी बेटी कु. पूनम पर छड़ से हमला किया और मौके से भाग गया। वह अपनी बेटी को थाना -तोरवा ले गया, फिर वह उसे अस्पताल ले गया और अंत में उसने एफआईआर (प्रदर्श.पी -6) दर्ज कराई। कु.पूजा (अ.सा.-4) ने कहा है कि अभियुक्त /अपीलकर्ता ने उसकी बहन पर रॉड और ईंटों से हमला किया था।



16. इन तीन गवाहों ने अभियुक्त/अपीलकर्ता, जो कु. पूनम और कु. पूजा का चाचा और चंद्रपाल का भाई है, के साथ दुश्मनी स्वीकार की है। कु. पूनम (अ.सा.-5) ने इस बात से इनकार किया है कि घटना के समय उसके पिता चंद्रपाल ने अभियुक्त पर हमला करने के इरादे से ईंटें फेंकी थीं, लेकिन वह अपने पिता द्वारा इस्तेमाल की गई ईंट से घायल हो गई। उसने इस बात से भी इनकार किया है कि अभियुक्त ने उस पर छड़ से हमला नहीं किया है। उसने इस बात से भी इनकार किया है कि ईंटें हटाते समय उसे चोटें आई हैं। कु. पूनम के पिता और अभियुक्त/अपीलकर्ता के भाई चंद्रपाल (अ.सा.-6) ने अभियुक्त/अपीलकर्ता के साथ दुश्मनी स्वीकार की है। चंद्रपाल (अ.सा.-6) ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय अभियुक्त/अपीलकर्ता मोटर-साइकिल के पास खड़ा था। उस समय उसके पास छड़ नहीं थी, लेकिन उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने कु. पूनम पर छड़ और ईंटों से हमला नहीं किया है। उन्होंने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि उन्होंने ईंटें फेंकी जिससे उनकी बेटी को चोट कारित हुआ। चंद्रपाल (अ.सा.-6) के बयान के अनुसार, नरेंद्र, बउवा, विनायक, भूपेंद्र और अन्य व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद थे। अभियोजन पक्ष ने नरेंद्र कुमार मौर्य (अ.सा.-10) और विनायक मौर्य (अ.सा.-11) से पूछताछ की लेकिन उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया था। यहां तक कि प्रति परीक्षा में भी उन्होंने अभियोजन या बचाव पक्ष के





मामले का समर्थन नहीं किया है लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि घटना के समय चंद्रपाल और अभियुक्त के बीच कुछ विवाद हुआ था।

17. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि डॉ. आर.के. उपाध्याय (अ.सा.-1), जो एक चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, ने कहा है कि चोट संख्या 2 लोहे की छड़ और ईट के टुकड़े से नहीं लग सकती और अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्त ने कु. पूनम पर ईंटों और लोहे की छड़ से हमला किया था। मौखिक और चिकित्सीय साक्ष्यों में यह विरोधाभास कथित प्रत्यक्षदर्शियों, जो घायल पूनम के रिश्तेदार हैं और अभियुक्त/अपीलकर्ता के साथ उनके शत्रुतापूर्ण संबंध हैं, की गवाही को खारिज करने के लिए पर्याप्त है।

18. चंद्रपाल (अ.सा.-6) ने घटना के आधे घंटे के भीतर एफआईआर (प्रदर्श.पी -6) दर्ज कराई जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता ने पूनम को घुमावदार छड़ से चोट पहुंचाई है। प्रदर्श.पी -4 की जब्ती से पता चलता है कि छड़ की लंबाई 95 सेमी (लगभग 1 मीटर) थी। घुमावदार छड़ अपने आप में एक तेज धार वाला हथियार है। कु. पूजा (अ.सा.-4) और चंद्रपाल (अ.सा.-6) रिश्तेदार गवाह हैं, लेकिन उनके बयानों को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वे रिश्तेदार गवाह हैं। रिश्तेदार गवाह की विश्वसनीयता के प्रश्न पर विचार करते हुए **दलीप सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य¹** के मामले में सर्वोच्च

¹ एआईआर 1953 एससी 364



न्यायालय ने माना है कि आमतौर पर एक करीबी रिश्तेदार असली अपराधी पर पर्दा डालने और एक निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने वाला आखिरी व्यक्ति होगा। उपरोक्त निर्णय का कंडिका 26 इस प्रकार है:-

"एक गवाह को आम तौर पर स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से न आए जो दूषित होने की संभावना रखते हों और इसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि जब तक गवाह के पास आरोपी के प्रति दुश्मनी जैसा कोई कारण न हो, जिससे वह उसे झूठे मामले में फँसाना चाहे। आमतौर पर कोई करीबी रिश्तेदार असली अपराधी को छुपाने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामले में फँसाने में सबसे आखिर में शामिल होता है। यह सच है कि जब भावनाएँ तीव्र होती हैं और दुश्मनी का कोई व्यक्तिगत कारण होता है, तो दोषी के साथ-साथ किसी निर्दोष व्यक्ति को भी घसीटने की प्रवृत्ति होती है, जिसके प्रति गवाह की कोई रंजिश हो, लेकिन ऐसी आलोचना के लिए आधार होना ज़रूरी है और केवल रिश्ते का होना, आधार बनाने से कहीं दूर, अक्सर सच्चाई की पक्की गारंटी होता है। हालाँकि, हम कोई व्यापक सामान्यीकरण करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारा अवलोकन केवल उन बातों का मुकाबला





करने के लिए है जो अक्सर विवेक के सामान्य नियम से पहले मामलों में सामने रखी जाती हैं। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों तक सीमित रखना चाहिए और उन्हीं के अनुसार संचालित होना चाहिए।"

19. गुली चंद एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य² के मामले में कुछ प्रश्नों पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मात्र यह तथ्य कि साक्षी रिश्तेदार है या उसके रिश्तेदार हैं, उसकी गवाही को खंडित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

20. दलीप (सुप्रा) के मामले में भरोसा रखते हुए, इसरार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य³ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मित्रों और रिश्तेदारों के साक्ष्य को उनके संबंधों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, केवल सूक्ष्म जांच की आवश्यकता है।

21. कु. पूनम का बयान, जो प्रत्यक्षदर्शी कु. पूजा (अ.सा.-4) और चंद्रपाल (अ.सा.-6) (रिश्तेदार गवाह) के बयानों और चिकित्सीय साक्ष्यों से समर्थित है, विश्वास को प्रेरित करता है और विश्वसनीय है। अभियुक्त वह व्यक्ति है जिसने घायल कु. पूनम को गंभीर और खतरनाक चोट पहुँचाई है।

22. जहाँ तक प्रश्नगत अपराध में हेतुक का प्रश्न है, प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में आशय अपना महत्व खो देता है। यह केवल अपराध में सहायक होता है

² (1974)3 एससीसी 698

³ एआईआर 2005 एससी 249



और हेतुक का अनुमान परिस्थितियों, विशेषकर हथियार के प्रयोग, चोट की प्रकृति और शरीर के किस भाग पर चोट पहुँचाई गई है, के आधार पर लगाया जा सकता है। इस मामले में, सबसे पहले कु. पूनम के पिता और अभियुक्त के बीच झगड़ा हुआ। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया गया, फिर पहले झगड़े के बाद अभियुक्त/ अपीलकर्ता अपने घर गया और फिर से घुमावदार छड़ लेकर आया और कु. पूनम, जिसकी आयु लगभग 16 वर्ष है, के सिर पर छड़ से और फिर ईंटों से हमला किया। अभियुक्त द्वारा बार-बार किया गया हमला अपराध के पीछे उसके आशय को दर्शाता है।

23. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को उपर्युक्तानुसार दोषी ठहराया और दण्डित किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित है और कानून के अंतर्गत मान्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अपीलकर्ता का घायल पूनम के पिता के साथ दुश्मनी का मामला था, लेकिन घायल पूनम, जो उसकी लगभग 16 वर्षीय भतीजी है और घटना के समय उसके पास कोई हथियार नहीं था, के साथ उसका कोई दुश्मनी का मामला नहीं था। अपीलकर्ता ने अपने घर से छड़ लेकर पूनम को बार-बार चोटें पहुँचाईं। ये चोटें जानलेवा थीं और इन चोटों से मस्तिष्क बुरी तरह प्रभावित हुआ था। चोट की प्रकृति,



इस्तेमाल किए गए हथियार, प्रभावित शरीर के अंग और चोट पहुँचाने के तरीके को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। अपीलकर्ता को दी गई सजा न्यायसंगत और उचित है।

24. उपर्युक्त कारणों से, मेरा यह मानना है कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला सभी उचित संदेहों से परे साबित कर दिया है और विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है।

25. परिणामस्वरूप, अपील गुणदोष रहित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है और इसे खारिज किया जाता है।



सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरण : हिंदी भाषा में निर्णय का अनुवाद सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह है किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। **समस्त कार्यालीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी ।**